

जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड

प्रधान कार्यालय – 152/153 ,मानजी का हत्था , पावटा, जोधपुर (राज 0)

ग्राहको की जानकारी हेतू

बैंक ऋण खाता भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार निम्न दशाओं में एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो सकता है :-

1. यदि मियादी ऋण खाते में तीन किश्ते मय अन्य चार्ज के अवधिपार हो जाती है अर्थात् 90 दिनों तक किश्त बकाया रहती है, तो मियादी ऋण खाता एनपीए में वर्गीकृत हो जायेगा।
2. कोई भी मियादी ऋण खाते में यदि किश्ते अग्रिम जमा है तो भी उस मियादी ऋण खाते में प्रतिमाह नामे होने वाली ब्याज की राशि 90 दिवस तक जमा नहीं होती है, तो खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो जायेगा।
3. किसी भी सीसी लिमिट (मोरगेज/हाईपोथीकेशन) में प्रतिमाह नामे होने वाले ब्याज की राशि 90 दिवस तक जमा नहीं होने पर खाता एनपीए में वर्गीकृत हो जायेगा, चाहे खाते में बकाया शेष उपलब्ध करवाई गई लिमिट के अन्दर ही क्यों न हो।
4. कोई भी सीसी लिमिट (मोरगेज/हाईपोथीकेशन) देय होने के 90 दिवस में नवीनीकृत नहीं करवाई जाती है तो देय होने के 90 दिवस के पश्चात एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो जायेगी।
5. किसी भी सीसी लिमिट (मोरगेज/हाईपोथीकेशन) में यदि 90 दिवस तक कोई भी राशि जमा नहीं होती है तो खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो जायेगा (अर्थात् 90 दिवस में लेनदेन आवश्यक है)।
6. यदि किसी व्यवसाय को बंद कर दिया गया है तो उक्त व्यवसाय के लिये लिया गया ऋण तुरन्त जमा नहीं होने पर खाता एनपीए में वर्गीकृत हो जायेगा।
7. कोई ऋण/लिमिट खाता तब भी एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो सकता है, यदि उस खातेदार का कोई अन्य कोई ऋण/लिमिट खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया हो (अर्थात् दो ऋण खाते होने पर यदि एक ऋण एनपीए होता है तो दूसरा स्वतः ही एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत होगा)।
8. कोई भी सी.सी.लिमिट खाता लगातार 90 दिनों तक स्वीकृत लिमिट से ऊपर रहता है, तो 90 दिवस पश्चात एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत हो जायेगा।
9. ऋण खातों की प्रतिभूति के मूल्य में ह्रास होने पर भी ऋण खाता एनपीए की श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

प्रबन्धक (ऑफिस प्रमुख)
जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक लि.
प्रधान कार्यालय, जोधपुर